

(2) जिस तारीख में प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया हो उससे पन्द्रह दिनों के भीतर विचार-विमर्श हेतु और अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय लेने हेतु ग्राम परिषद की विशेष बैठक बुलाई जाएगी । (3) यदि 'अविश्वास प्रस्ताव' में ग्राम परिषद के कुल सदस्यों का बहुमत प्राप्त है, ग्राम परिषद, ग्राम साधारण निकाय से फर्स्ट कैप्टन को पद से हटाने की सिफारिश करेगी । (4) उप धारा (3) के तहत सिफारिश प्राप्त होने पर ग्राम साधारण निकाय की विशेष बैठक बुलाई जाएगी जिसमें गणपूर्ति के लिए ग्राम साधारण निकाय की कुल सदस्यों का पाँचवा भाग से कम न हो और उपस्थित सदस्यों की बहुमत से सिफारिश को स्वीकृति प्रदान की जाएगी । (5) उप धारा (4) के तहत सिफारिश को मंजूरी प्राप्त होने पर मंजूरी की तारीख से फर्स्ट कैप्टन का पद समाप्त हो जाएगा । (6) यदि ग्राम परिषद की सिफारिश मंजूर नहीं की जाती अथवा ग्राम साधारण निकाय की विशेष बैठक में गणपूर्ति नहीं होती है, ग्राम साधारण निकाय की मंजूरी प्राप्त करने हेतु सिफारिश के असफल हो जाने पर अथवा गणपूर्ति की कमी जिस कारण सिफारिशों पर विचार नहीं किया जा सका, से एक वर्ष की अवधि के भीतर ग्राम परिषद के फर्स्ट कैप्टन के विरुद्ध कोई नया अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तावित नहीं किया जाएगा । (7) इस विनियम में शामिल इन सबके बावजूद प्रथम कैप्टन उप धारा (2) के तहत बुलाई गई बैठक और उप धारा (4) के तहत ग्राम साधारण निकाय द्वारा बुलाई बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, लेकिन उसे ऐसे बैठक में बोलने या भाग लेने का अधिकार होगा ।	
21. (1) ग्राम परिषद के किसी सदस्य द्वारा सैंकेंड कैप्टन के विरुद्ध "अविश्वास प्रस्ताव" उस तरीके से जैसा निर्धारित किया गया है, प्रस्तावित किया जा सकता है । (2) प्रस्ताव रखने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर इस पर विचार विमर्श के लिए और अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय करने हेतु ग्राम परिषद की विशेष बैठक बुलाई जाएगी । (3) यदि प्रस्ताव ग्राम परिषद के कुल सदस्यों की कुल संख्या का दो तिहाई सदस्यों की बहुमत से प्रस्तावित की जाती है, सैंकेंड कैप्टन का पद, प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की तारीख से समाप्त हो जाएगी । (4) इस विनियम में इन सबके बावजूद सैंकेंड कैप्टन उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, जिसमें उसके विरुद्ध प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव में विचार-विमर्श किया जाएगा, लेकिन बैठक में बोलने और बैठक की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार उसे प्राप्त होगा ।	सैंकेंड कैप्टन के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव